न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 409/2020, जीसीएमएस संख्या 2020/00337

1. घीसाराम पुत्र नाथू जाति कुम्हार निवासी ग्राम माचवा तहसील व जिला जयपुर ।

—अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर तहसील जयपुर जिला जयपुर ।

—रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आज्ञा अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर दिनांक 18/02/1969, प्रकरण क्रमांक 190/67 उनवानी घीसीलाल बनाम नाथू जिसके द्वारा उन्होंने प्रार्थना पत्र नियम 14 उपनियम 4 के अन्तर्गत आवंटन निरस्त किया।

उपस्थित–

1. श्री नरेश कुमार जैन वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्दशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 1

निर्णय

दिनांक –02.08.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर के निर्णय दिनांक 18.02.1969 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर,जयपुर के समक्ष घीसीलाल, नारायण पुत्रान् मोतीलाल ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) इस आशय के साथ पेश किया कि वाके ग्राम माचवा तहसील व जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 222 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा भूमि का अपीलांट के पिता के पक्ष में किये गये आवंटन दिनांक 24.06.1967 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.02.1969 को प्रार्थना पत्र 14 (4) को स्वीकार कर आवंटन आदेश दिनांक 24.06.1967 को निरस्त किये जाने के आदेश दिनांक 18.02.1969दिये गये।

3. अति0 जिला कलक्टर जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 18.02.1969से व्यथित होकर अपीलान्ट घीसाराम पुत्र नाथू द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय अति0 जिला कलक्टर जयपुर दिनांक 18.02.1969 निरस्त किये जाने एवं आवंटन आदेश दिनांक 24.06.1967 को बहाल किये जाने की प्रार्थना की।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलार्थी के पिता नाथू पुत्र रामू अत्यन्त गरीब एवं आय का कोई साधन ना होने के कारण तथा भूमिहीन होने के कारण आवंटन सलाहाकार समिति की सिफारिश पर अपीलान्ट के पिता को दिनांक 24/06/1967 को खसरा नम्बर 222 की 8 बीघा 5 बिस्वा भूमि कृषि हेतु आवंटित की गई। इस आवंटन के विरूद्ध घीसीलाल पुत्र मोतीलाल जाति महाजन, नारायण पुत्र मोतीलाल ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 उप नियम 4 भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिस पर अतिरिक्त कलक्टर जिला जयपुर ने गलत तरीके से दिनांक 18/02/1969 को निर्णय पारित करते हुए उक्त आवंटन को निरस्त कर दिया । अपीलार्थी के पिता की मृत्यु हो चुकी है उसका एकमात्र पुत्र अपीलार्थी हैं। उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई हैं।खसरा नम्बर 222 का कुल रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा है जो कि सिवायचक अंकित भूमि थी इसमें से मात्र 8 बीघा भूमि अपीलार्थी को आवंटित हुई थी 23 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से किस भू–भाग पर घीसीलाल का कब्जा था इसकी जाचं किये बिना आवंटित भूमि को ओकोपाइड भूमि मानकर भारी गलती की हैं। यहां तर्क के लिये यह मान भी लिया जाये कि वादग्रस्त भूमि पर घीसीलाल का कब्जा था तो वह उस भूमि पर अतिक्रमी के रूप में था और अतिक्रमी द्वारा धारीत भूमि को कभी भी ओकोपाइड भूमि नही माना जा सकता ऐसी भूमि को अनओकोपाइड भूमि मानी जाती है जो आवंटन के लिए उपलब्ध होती है। आवंटन से पूर्व अपीलार्थी के पिता ने आवंटन नियमों के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और जिस पर पटवारी ने अपनी रिपोर्ट दी है और इसके पश्चात् आवंटन सलाहकार समिति की बैठक ग्राम, माचवा में हुई और समिति ने प्रार्थना पत्र पर पूर्ण विचार करने के पश्चात् सर्वसम्मिति से अपीलार्थी के पक्ष में भूमि आवंटन के आदेश पारित किये सुयोग्य अतिरिक्त कलक्टर जयपुर जिला जयपुर ने अपने निर्णय में कही भी इस बात का स्पष्ट वर्णन नही किया है कि आवंटन से पूर्व किस कानूनी प्रावधान की पालना नही की गई हैं। अतिरिक्त कलक्टर जयुपर जिला जयपुर ने ना तो आवंटन पत्रावली तलब कि और ना ही उसका अवलोकन किया और अवलोकन किये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित करने में उन्होंने भारी कानूनी त्रुटि कारित की हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों की जॉच व अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अति0 जिला कलक्टर जयपुर 18.02.1969 निरस्त किये जाने एवं आवंटन आदेश दिनांक 24.06.1967 को बहालकिया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.02.1969 में सभी तथ्यों एवं दस्तावेजात का अवलोकन कर प्रार्थना पत्र 14(4) को स्वीकार कर आवंटन आदेश दिनांक 24.06.1967 को निरस्त किये जाने के उचित आदेश दिये गये। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अति0 जिला कलक्टर जयपुर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। न्यायहित में नकल दिनांक 27.05.2014 को प्राप्त होने से अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने

संभागीय आयुक्त
जयपुर

पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में मूल विवाद ग्राम माचवा तहसील व जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 222 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा भूमि का अपीलांट के पिता नाथू के पक्ष में किये गये आवंटन दिनांक 24.06.1967 को लेकर है जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण घीसीलाल पुत्र मोतीलाल, नारायण पुत्र मोतीलाल द्वारा अति0 जिला कलक्टर, जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र 14(4) पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार करने के आदेश दिये गये। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भूमि पर पूर्व में घीसीलाल व गंगाराम वगै0 की काश्त होने तथा पटवारी रिपोर्ट के आधार पर अलॉटमेंट प्रकिया का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में ही उक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर प्रार्थना पत्र 14 (4) स्वीकार कर आवंटन आदेश दिनांक 24.06.1967 को निरस्त किये जाने के आदेश दिये गये। पटवारी रिपोर्ट से स्पष्ट है कि श्री नाथू के पास काश्त की भूमि उपलब्ध है एवं उसका मुख्य पेशा मिट्टी के बर्तन बनाना है। अर्थात् अलॉटी श्री नाथू भूमिहीन कृषक नहीं था उसके पास काफी भूमि काश्त की मौजूद है तथा विवादग्रस्त भूमि के संबंध में यह स्थिति में स्पष्ट नहीं है कि भूमि खाली है अथवा किसी का कब्जा है। ऐसी स्थिति में आवंटन आदेश दिनांक 24.06.1967 को निरस्त किये जाने के अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्यक है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि जाहिर नहीं होती है। अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समक्षते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, जयपुर का निर्णय दिनांक 18.02.1969 यथावत रखा जाता है तथा तहसीलदार जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 222 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा को राजहित में सिवायचक दर्ज की जावे।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 02.08.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर